



2026:AHC:55772

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6747 वर्ष 2026

सोन् @ नवनीत

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : देवेंद्र कुमार मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. यह आवेदक की ओर से दायर दूसरी जमानत याचिका है।
2. श्री बलराम गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता श्री डी.के. मिश्रा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री एस.बी. सिंह, राज्य के लिए विद्वान एजीए को सुना।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. वर्तमान जमानत याचिका दायर की गई है जिसमें आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 189 वर्ष 2024 में धारा 191(3), 191(2), 190, 103(1), 352, 351(2), 3(5) बीएनएस, पुलिस स्टेशन सारह, जिला कानपुर नगर के तहत जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया, हालांकि, यह आवेदक की ओर से दायर किया गया दूसरा जमानत आवेदन है और आवेदक की पहली जमानत याचिका दिनांक 08.05.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी, लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसमें सामान्य आरोप के आधार पर आवेदक के साथ चार अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है और आवेदक सह-आरोपी विनोद के पहले जमानत आवेदन को खारिज करने के बाद सह-आरोपी के आधार पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है कपूर सिंह @ राज को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उनके बराबर है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया, सह-आरोपी विनोद की जमानत का आदेश पेपर-बुक के पृष्ठ -95 पर संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का दो मामलों का आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन दोनों मामले मामूली अपराध से संबंधित हैं और वर्तमान मामले में वह 15.11.2024 से यानी लगभग डेढ़ साल से जेल में है।
6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर तर्क पर विवाद नहीं कर सका।
7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।
8. हालांकि, आवेदक की ओर से दायर यह दूसरा जमानत आवेदन है और आवेदक की पहली जमानत याचिका दिनांक 08.05.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी, लेकिन यह दर्शाता है कि आवेदक सह-आरोपी विनोद और कपूर सिंह @ राज की पहली जमानत याचिका खारिज होने के बाद इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और इस तथ्य

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पर विचार करते हुए कि सभी आरोपियों के खिलाफ केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है, आवेदक का मामला उनके बराबर है।

9. इसके अलावा, आवेदक का दो मामलों का आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन दोनों मामले मामूली अपराधों से संबंधित हैं और वर्तमान मामले में वह 15.11.2024 से यानी लगभग डेढ़ साल से जेल में है।

10. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

11. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

12. आवेदक - सोनू @ नवनीत को उपरोक्त मामले में निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

13. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मार्च 18, 2026

एके पाण्डे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”